वेबसाइट के लिए

सं. ईएमआर/परामर्शक/01/2026

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

वी. रामलिंगस्वामी भवन

अंसारी नगर, नई दिल्ली–110029

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2026

वॉक-इन इंटरव्यू

परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ परामर्शक (विज्ञानीय/तकनीकी–नॉन-मेडिकल)/परामर्शक (विज्ञानीय /तकनीकी – नॉन-मेडिकल) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो अपने एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान प्रभाग की कार्यक्रम गतिविधियों में अल्पकालिक सहयोग हेतु 01 वरिष्ठ परामर्शक (विज्ञानीय/तकनीकी - नॉन-मेडिकल) अथवा परामर्शक (विज्ञानीय/तकनीकी - नॉन-मेडिकल) पद को पूर्णतः संविदा के आधार पर भरने का प्रयोजन रखता है।

उपर्युक्त नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएँ, अनुभव एवं अन्य प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण
पद का नाम	वरिष्ठ परामर्शक (विज्ञानीय/तकनीकी – नॉन-मेडिकल)
रिक्तियों की संख्या	एक (01)
अनिवार्य शैक्षिक अर्हकता एवं अनुभव	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जैव प्रौद्योगिकी अथवा जैव विज्ञान में एम.एससी. एवं पीएच.डी.। अपनी विषय विशेषज्ञता के क्षेत्र में सफल और सिद्ध दक्षता रखने वाले पेशेवर, जिनके पास अर्हता प्राप्त करने के बाद कम से कम 12 वर्ष का अनुभव तथा संबंधित विषय में पीएच.डी. के बाद न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **अथवा** ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपेक्षित शैक्षिक योग्यता रखते हो तथा जो नियमित वेतन लेवल स्तर-10 एवं उससे ऊपर के लेवल में कार्य कर चुके हो और जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
पद से अपेक्षित कार्य	आईसीएमआर के एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान कार्यक्रम के तहत अन्वेषक द्वारा शुरु किए गए, आईसीएमआर द्वारा शुरु किए गए और आईसीएमआर संस्थानों द्वारा शुरु किए गए अलग-अलग स्केल के शोध कार्यक्रमों पर कार्य करना शामिल है।
समेकित पारिश्रमिक	₹1,00,000–₹1,80,000/- प्रति माह (समेकित)। **अथवा** **सरकारी कर्मचारियों के लिए:** सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के मामले में, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, के दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3-25/2020-E.IIIA के अनुसार नियत किया जाएगा। यह चयन का निर्णय शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
आयु-सीमा	40 से 70 वर्ष
कार्य की अवधि	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है)।

कार्यस्थल	परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली
वॉक-इन-इंटरव्यू का विवरण	**तारीख:** 30.11.2026 **समय:** पूर्वाह्न 10:00 बजे **स्थान:** परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली निर्धारित तारीख एवं समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सामान्य नियम एवं शर्तें:–

1. ये पद पूर्णतः अस्थायी हैं तथा परियोजना की आवश्यकताओं के साथ स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
2. परिषद विज्ञापित सभी पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी समय चयन-प्रक्रिया को वापस लेने, रद्द करने अथवा उसमें संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. सरकारी कार्य के संबंध में देश के भीतर यात्रा करने हेतु परामर्शकों को परिषद के दिशा-निर्देशों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।
4. कार्य करने के घंटे परिषद के नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे। कार्यालय समय के उपरांत कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा। वैध कारण के बिना लगातार **08 दिनों** तक अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

5. छुट्टी की पात्रता:

क) प्रति कैलेंडर वर्ष यथानुपात आधार पर वर्ष में 08 दिनों की छुट्टियों के पात्र है।

ख) 02 प्रतिबंधित छुट्टियां (आरएच) भारत सरकार/परिषद के नियमों के अनुसार देय है।

ग) छुट्टी की अवधि के दौरान आने वाली साप्ताहिक छुट्टी एवं राजपत्रित छुट्टियां अनुमन्य छुट्टियां नहीं मानी जाएगी। उपयोग न की गई छुट्टियों को अगले कैलेंडर वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा।

घ) अवकाश के दिनों में कार्य करने पर प्रतिपूरक अवकाश दिया जा सकता है, परंतु एक माह में अधिकतम 02 अवकाश ही अर्जित किए जा सकते है। एक समय में अधिकतम 05 दिनों का प्रतिपूरक अवकाश संचित किया जा सकता हैं तथा तीन परामर्शक माह के भीतर इनका उपयोग कर सकता है।

6. भर्ती की प्रक्रिया (अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश):

क) **पात्रता:** निर्धारित आयु सीमा को पूरा करने वाले तथा अपेक्षित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखने वाला कोई भी अभ्यर्थी वॉक-इन-साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अनिवार्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना चयन की गारंटी नहीं है।

ख) **मूल दस्तावेज:** अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दिन सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेज (10वीं कक्षा से आगे के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड/पासपोर्ट/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध फोटो पहचान-पत्र) साथ लाने होंगे।

ग) **दस्तावेज प्रस्तुत करना:** अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

i. सभी मूल दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के दो सेट।

ii. हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के फोटो सहित विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (अनुलग्नक- निर्धारित प्रारूप में)।

iii. जीवन-वृत्त।

नोट: अधूरे/ हस्ताक्षर रहित आवेदन-पत्र अथवा गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या अपेक्षित स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में भर्ती-प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई विचार किए बिना आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

घ) **छंटनी की प्रक्रिया:** साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, आयु एवं प्रासंगिक अनुभव के आधार पर छंटनी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ, तो साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा अथवा असाइनमेंट का आयोजन किया जा सकता है। किसी भी चरण में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में, समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए पात्र माना जाएगा।

ङ) **चयन के मानदंड:** साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

7. अन्य नियम एवं शर्तें:

क) परिषद, कोई कारण बताए बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार अथवा सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) परिषद विज्ञापित किसी भी पद को भरने अथवा न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को रद्द करने अथवा उसमें संशोधन करने का अधिकार रखता है। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ग) छंटनी किए जाने अथवा संविदा आधार पर तैनाती के लिए किसी भी रूप में प्रचार-प्रसार करना या बाहरी दवाब डलवाना अयोग्यता का कारण होगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

घ) चूँकि ये पद पूर्णतः अस्थायी एवं संविदात्मक हैं और चयनित अभ्यर्थियों का परिषद में नियमित अथवा स्थायी नियुक्ति या किसी अन्य परियोजना में निरंतर नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ङ) परिषद सक्षम प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष के लिए वैध प्रतीक्षा सूची पैनल तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

च) साक्षात्कार में सम्मिलित होने अथवा पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान तथा चयनित होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

छ) किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में नियमित सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

ज) चयनित अभ्यर्थियों की सामान्यतः तैनाती परिषद मुख्यालय में की जाएगी; तथापि, उन्हें भारत में किसी भी स्थान पर कार्य करने का दायित्व सौंपा जा सकता है।

झ) परिषद संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ट) सरकारी नियमों एवं विनियमों के अनुसार सभी कर लागू होंगे और आय स्रोत से कटौती की जाएगी।

ठ) रिक्तियों के संबंध में कोई भी परिशिष्ट अथवा शुद्धिपत्र केवल परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदकों को नवीनतम जानकारी एवं अपडेट के लिए नियमित रूप से परिषद की वेबसाइट https://www.icmr.gov.in देखते रहने की सलाह दी जाती है।